भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 283

उत्तर देने की तारीख 27 नवंबर, 2024

बुधवार, 6 अग्रहायण 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता

283. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी: श्री के. आर. सुरेश रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत पेश किए जाने वाले अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिनकी अवधि अक्सर 24 घंटे की ही होती है;

(ख) क्या सरकार ने इन अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षुओं की योग्यता का आकलन करने और उसे प्रमाणित करने के लिए कोई गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित किया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इन अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के परिणामस्वरूप केवल अल्प बाजार मूल्य के प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बजाय सार्थक कौशल विकास हो?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) (विशेष परियोजना सहित) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन एवं पुनर्कौशलीकरण करना है। पीएमकेवीवाई 4.0 के एसटीटी के अंतर्गत पाठ्यक्रमों की अवधि आम तौर पर 300 से 600 घंटों के बीच होती है। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 के आरपीएल के तहत, सभी उम्मीदवारों को न्यूनतम 30 घंटे और अधिकतम 132 घंटे की अवधि का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा।

सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इस स्कीम के तहत, उद्योग मांग के आधार पर रोजगार भूमिकाओं को संशोधित किया गया है। वर्तमान में, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगभग 843 राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ़) संरेखित रोजगार भूमिकाएँ (पाठ्यक्रम) स्वीकृत की गई हैं। साथ ही, प्रशिक्षण और आकलन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 82,938 प्रमाणित प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का एक राष्ट्रीय पूल बनाया गया है।

पीएमकेवीवाई 4.0 को उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करने के लिए मांग-आधारित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई 4.0 विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के लिए तैयार, भविष्य के लिए तैयार और आधुनिक कौशल प्रदान करके उम्मीदवारों की नियोजनीयता बढ़ाने पर बल देता है। यह स्कीम आधुनिक युग और उभरते पाठ्यक्रमों जैसे ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), 3डी प्रिंटिंग, ब्लॉक चेन, मेक्ट्रोनिक्स, रोबोटिक्स आदि पर केंद्रित है। कार्यरत प्रशिक्षण (ओजेटी), अनिवार्य रोजगार कौशल मॉड्यूल, कौशलोन्नयन पर ध्यान, उम्मीदवारों का आधार प्रमाणित पंजीकरण, पाठ्यक्रमों की मिश्रित डिलीवरी आदि स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं।

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रदान किए गए कौशल प्रशिक्षण की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए, मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच-सिद्ध) शुरू किया है, जो एक एकीकृत मंच है जो कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिसितम को एकीकृत करता है ताकि हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करते हुए जीवन भर की सेवाएं प्रदान की जा सकें। उम्मीदवारों के पूरे प्रशिक्षण जीवन चक्र और उनकी ट्रैकिंग (नामांकन से लेकर प्रमाणन के बाद अनुवर्ती कार्रवाई तक), प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का विवरण, प्रशिक्षण प्रदाता तथा प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता और संबद्धता को सिद्ध के माध्यम से कैप्चर और मॉनिटर किया जाता है। यह नामांकन के समय उम्मीदवार का आधार प्रमाणीकरण और डी-डुप्लीकेशन जांच करता है।

इसके अलावा, प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए □सिद्ध□ पोर्टल पर उपलब्ध है। सिद्ध के माध्यम से, उम्मीदवार रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा, प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान करने के लिए रोज़गार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए गए हैं।
